राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.2(6)नविवि/नियम/2019 जयपुर, दिनांकः 5 MAR 2019

परिपत्र

विषयः— राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र (पॉलिसी डोक्यूमेन्ट) के तहत घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु, विमुक्त जातियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन।

राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र पॉलिसी डोक्यूमेन्ट के बिन्दु संख्या—23.02.02 के अनुसार घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु, विमुक्त जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु इन जातियों के प्रत्येक परिवार को पात्रता के आधार पर 50 वर्गगज तक का निःशुल्क भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय की अनुपालना में उक्त जातियों 50 वर्गगज तक का भूखण्ड प्राधिकरण/न्यास द्वारा निःशुल्क आवंटित निम्नांकित शर्तो के अनुसार किया जावेगा।

(i) जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर सुधार न्यास अपने क्षेत्र में राजस्थान राज्य के घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु, विमुक्त जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अवशेष रहे आवासहीन परिवारों को आवासीय भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन कर सकेगें। निःशुल्क आवंटित किये जाने वाले आवासीय भूखण्ड का अधिकतम आकार 50 वर्गगज होगा।

(ii) भूमि आवंटन के लिये पात्रता पर उक्त जातियों का सदस्य होना एवं उसका प्रमाण पत्र जारी होना ही पर्याप्त आधार होगा। इनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारी ही सक्षम होगें।

(iii) राजस्थान राज्य के घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु, विमुक्त जातियों में केवल वे जातियाँ शामिल मानी जायेगी जिन्हें समाज कल्याण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा अधिसूचना के जरिये शामिल किया गया है।

(vi) समस्त प्राधिकरण/न्यास के द्वारा इन जातियों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करके आरक्षित रखी जायेगी और उस पर अन्य किसी का अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था संबंधित संस्था द्वारा की जायेगी।

(v) नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे उक्त जातियों के ऐसे परिवार भी चिन्हित किये जावें जिनके पास कोई आवासीय मकान या आवासीय भूमि नहीं है।

(vi) आवेदन प्राप्त होने पर चिन्हित भूमि में उक्त जातियों के पात्र व्यक्तियों को यथाशीघ्र पट्टे आवंटित किये जावें।

(viii) इन जातियों के एक परिवार को केवल एक ही आवासीय भूखण्ड निःशुल्क आवंटित होगा। यदि किसी परिवार के पास पूर्व से ही आवासीय मकान अथवा 50 वर्गगज या इससे अधिक आवासीय भूमि उपलब्ध है तो वह इस आदेश के अन्तर्गत निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के लिये पात्र नहीं होगा।

(viii) इन जातियों के आवास हेतु आवंटित भूमि का उपयोग राज्य में किसी भी अन्य जाति अथवा अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(ix) निःशुल्क भूमि के आवंटन के पश्चात् पट्टाधारी व्यक्ति 20 वर्ष तक भूखण्ड का बेचान अन्य किसी को नहीं कर सकेगा। इस शर्त का उल्लेख पट्टे में आवश्यक रूप से किया जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कन्हैया लाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
4. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम